संख्या-11/2015/2298 ई-2/तेरह-2014-24/2010

प्रेषक,

श्री सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 04 मार्च,2015

विषय:- आबकारी विभाग की शराब दुकानों में आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

&&&&&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युकत विषयक अपने पत्र संख्या- जी-138/दस-लाइसेंस-209/आरक्षण आबकारी दुकान आवंटन/2014 दिनाक 10 नवम्बर, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की दिनांक 29 मई,2014 को सम्पन्न हुई बैठक में मा0 समिति द्वारा आबकारी विभाग की शराब की दुकानों में आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में पुन: विचार किये जाने की अपेक्षा की गई थी, जिसके अनुपालन में शासन द्वारा इस सम्बन्ध में गहनता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आबकारी विभाग की शराब की दुकानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जाति अथवा अन्य किसी को आरक्षण दिया जाना व्यवहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से तथा प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव ।

संख्या-11/2015/2298(1) ई-2/तेरह-2014 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra